न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 03/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :— 2016/00197

उनवान

1. अजमत सिंह (मृतक)
   1/1. रम्भूली पत्नी अजमत सिंह
   1/2. बदन सिंह
   1/3. समन्दर
   1/4. लक्ष्मन
   1/5. बृजेन्द्र
   1/6. राजाराम
   1/7. महेश
   (1/2 से 1/7) पिसरान अजमत सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र नक्कू

जाति गूजर नि0 ग्राम कपरौला तहसील व व जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. सफेदी पत्नी प्यारे
2. डालू
3. जीतराम
4. कोक सिंह
(2 से 4) पुत्र प्यारे

जाति गूजर निवासी ग्राम कपरौला तहसील व जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 30.09.2015 मि.नं. 13/05 उनवानी अजमत सिंह बनाम सफेदी।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश चन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय   दिनांक—29.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध पेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 55/0.28 है0 ग्राम कपरौला तहसील भरतपुर के 6/28 हिस्सा पर वादीगण अपीलाण्ट खातेदार कृषक हैं। शेष 22/28 हिस्सा पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 वहिस्सा बराबर के खातेदार हैं। हाल सैटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 55/0.28 है0 कों गत खसरा नम्बर 11 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा व 14 मिन से बनाया है। इसमें वादीगण अपीलाण्ट का गत खसरा नम्बर 14 मिन का रकवा 0.06 है0 सम्मिलित है। परन्तु सैटिलमेन्ट कार्मिको ने समस्त 0.28 है0 पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया है, जो कतई गलत व निरस्तनीय है। अतः वाद प्रस्तुत कर हाल खसरा नम्बर 55/0.28 के 6/28 हिस्सो से प्रतिवादीगण रैस्पो0 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का. अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 14 मिन को मिलाकर नया नम्बर 55 बनाया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट का इस खसरा नम्बर में 6/28 हिस्सा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 11 का 01 बीघा 08 विस्वा रकवा रैस्पो0 का इस नये खसरा नम्बर 55 में सम्मलित किया जाना अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि उनका गत के अनुसार इस नये खसरा नम्बर से रकवा 22 एयर ही होना चाहिये। इस अधिक रकवे पर रैस्पो0 अपने नाम खातेदारी रखने के अधिकारी नहीं है। रैस्पो0 ने अपने जवाब दावा में जो स्पष्टीकरण दिया है कि उसके अन्य खसरा नम्बर के रकवे को मिलाकर कोई 5 बीघा 16 विस्वा से हाल 0.94 है0 बनाया गया है। कतई गलत है। अन्य नम्बरान की स्थिति मौका व रकवे की विवादित नम्बर से कतई भिन्न है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कतई गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। परन्तु उनके प्रतिउत्तर में रैस्पो0 ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। हाल खसरा नम्बर 55 को गत खसरा नम्बर 14 से नहीं बनाया गया है। बल्कि गत खसरा नम्बर 11 से बनाया गया है। गत खसरा नम्बर 9, 10, 11 किता 3 रकवा 5 बीघा 16 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 55, 56, 57 किता 3 रकवा 0.94 है0 बने हैं, जो गत रकवा के समतुल्य ही हैं। अपीलाण्ट का कोई 0.06 है0 रकवा रैस्पो0 की आराजी में सम्मलित नहीं हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को किसी भी दस्तावेजात से साबित नहीं कर पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त एवं दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआडी 1993 पेज 246, आरबीजे 2015 पेज 385 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट आराजी गत खसरा नम्बर 14 मिन को मिलाकर नया नम्बर 55 बनना बताते हुये, उसमें अपना 6/28 हिस्सा की घोषणा का दावा करते हैं। हमने पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 55/0.28 है0 को गत खसरा नम्बर 11 रकवा 01 बीघा 08 विस्वा से बनने की पुष्टी होती है। वादीगण अपीलाण्ट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में गत खसरा नम्बर 14 की नकल जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि वादीगण का कुल हाल व कुल गत रकवे में कितना अन्तर है। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण रैस्पो0 के गत खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बरो का क्षेत्रफल बराबर है। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश तनकीवार तार्किक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2015 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर